

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-8715/1009-1010

दिनांक: 21-6-19

सेवा में

1. वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल, गुरुग्राम ।
2. वन मण्डल अधिकारी, फरीदाबाद ।


विषय: Diversion of 0.0809 ha. of forest land in favour of S.D.E., P.H.Engg. Sub Division No. 3, Palwal for laying of water pipeline from Bhanakpur to Binjopur, under forest division and District Faridabad, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Pipeline/37309/2018

संदर्भ: वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल, गुरुग्राम का पत्र क्रमांक 2281 दिनांक 8-2-2019 ।

विषयोक्त प्रस्ताव में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई हैं जिन्हें दूर करके सही सूचना सम्बन्धित प्रपत्रों की एक-एक प्रति सहित तुरन्त इस कार्यालय को भेजें :-

1. सी0ए0साईट की के0एम0एल0 फाईल में सी0ए0 के लिए जो एरिया लिया गया है वह केस नं0 FP/HR/Pipeline/37089/2018 में लिया जा चुका है । अतः इस केस के लिए अन्य सी0ए0 साईट का चयन करके उसकी के0एम0एल0 फाईल, डी0जी0पी0एस0 मैप व सी0ए0 साईट मार्क की हुई टोपोशीट प्रोपर लिंक पर अपलोड करें व एक-एक प्रति इस कार्यालय को भेजें ।
2. अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की अनुपालना में सम्बन्धित जिलाधीश का प्रमाण पत्र {एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र} अपलोड नहीं किया गया है और न ही प्रस्ताव के साथ भेजा गया है । कृपया मूल एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र प्रयोक्ता एजैन्सी से ऑनलाईन फार्म-ए पार्ट-1 में Additional information Details के तहत अपलोड करवाया जाए और मूल प्रति इस कार्यालय को भेजी जाए ।



20/06/2019
मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0)
हरियाणा, पंचकुला ।

19-6-19
[Signature]

पू0क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-8715/1011

दिनांक: 21-6-19.

एक प्रति S.D.E., P.H.Engg. Sub Division No. 3, Palwal को ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।


20/06/2019
मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0)
हरियाणा, पंचकुला ।

19-6-19
[Signature]